भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2018

(दिनांक 08.08.2024 को उत्तर के लिए)

सीईटी आयोजित करने में एनआरए की विफलता

2018. श्री मल्लिकार्जुन खरगे :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय भर्ती अभिकरण (एनआरए) के लिए आवंटित, स्वीकृत और उपयोग किए गए बजट का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि एनआरए सरकार में समूह ख और समूह ग के पदों के लिए भर्ती को सुव्यवस्थित और मानकीकृत करने के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) आयोजित करने के लिए उत्तरदायी है;

(ग) क्या यह भी सच है कि 2021, 2022 और 2023 में बार-बार सीईटी आयोजित करने के वादे के बावजूद, एनआरए सीईटी आयोजित करने में विफल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस तरह के विलंब के क्या कारण हैं और इसे आयोजित करने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) : वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक, एनआरए को आवंटित निधियों का ब्यौरा निम्नलिखित हैः-

(करोड़ रुपए)

वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24
आवंटन	129.61	0.1	10.10
निर्मुक्ति	58.32	00	00
व्यय	13.80	12.27	12.68

(ख) से (घ) : राष्ट्रीय भर्ती अभिकरण (एनआरए), केन्द्र और राज्य सरकारों में प्रचलित भर्ती प्रणालियों और परीक्षा आयोजित करवाने के लिए विभिन्न लोक परीक्षा प्राधिकरणों (पीईए) द्वारा अपनाए जाने वाली प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन कर रहा है और नई परीक्षा प्रणाली में उत्पन्न होने वाले संभावित मुद्दों तथा इन मुद्दों का शुरू में ही समाधान करने की भी जांच कर रहा है ताकि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षा आयोजित की जा सके। एनआरए में नई परीक्षा प्रणाली को आयोजित करवाने से संबंधित विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रोटोकॉल और नीतिगत ढांचा विकसित करने और साथ ही सभी संबंधितों द्वारा नियामक मानकों और दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी साधन विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है।
